

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 513/2022

| अपीलान्ट्स | बनाम | रेस्पोंडेन्ट |
|--|------|---|
| 1. जैताराम पुत्र चैनाराम सुथार निवासी- ग्राम जलंधरनगर, तहसील बालेसर, जोधपुर। | | 1. फुली पुत्री जुगताराम सुथार निवासी- पतासर तहसील पचपदरा हाल निवासी फुली पत्नी हिमताराम निवासी- शेरगढ जोधपुर 2. ग्राम पंचायत बाणियावास जरिये सरपंच 3. कुम्भाराम पुत्र चैनाराम 4. बालाराम पुत्र चैनाराम 5. सांगाराम पुत्र मोडूराम जातियान- सुथार, निवासी- बालेसर, जोधपुर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 15.02.2021 उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा राजस्व अपील संख्या 02/2017 अनवान खम्मादेवी वगैराह बनाम ग्राम पंचायत बाणियावास वगैराह में में पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1- श्री रूघाराम चौधरी,, अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
- 2- श्री मालमसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता, रेस्पोंड संख्या 1, 3, 4 की ओर से
- 4- रेस्पोंड संख्या 2, 5 बावजूद तामीली के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक जनवरी, 2024

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंड संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष धारा 75 राज० भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पतासर के ख०सं० 187 में रेस्पोंडेन्ट के पिता जुगताराम का 1/5 हिस्सा था। जुगताराम के देहान्त होने पर जुगताराम के छोटे भाई चैनाराम के नाम नामा० सयंख्या 179 स्वीकार कर दिया। जबकि रेस्पोंड संख्या 1 जुगताराम की पुत्री तथा रेस्पोंड संख्या 2 खम्मादेवी जुगताराम की पत्नी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपील के विचाराधीन रहते खम्मादेवी का देहान्त हो गया था।

उपरोक्त प्रथम अपील में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोंडेन्टस पक्षकारान को नोटिस जारी कर तलब किया परन्तु उन रेस्पोंडेन्टस के सम्मन तामील नहीं होने के



अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बावजूद दिनांक 15.02.2021 को एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए नामा0 संख्या 179 दिनांक 18.02.1986 को निरस्त कर तहसीलदार पचपदरा को स्व0 जुगताराम के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच कर नामा0 की कार्यवाही करने आदेश पारित किये गये। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 15.02.2021 के विरुद्ध अपीलान्टस के द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि रेस्प0 संख्या 1 ने दिनांक 21.8.22 को अपीलान्ट को बताया कि अधिनस्थ न्यायालय से हमारे पक्ष में फ़ैसला हो गया है और हमारे नाम नामा0 तहसीलदार दर्ज कर देगा। तब अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से मार्फत मालूम करवाया गया तब अपीलाधीन आदेश पारित होने की जानकारी हुई जिसकी दिनांक 15.9.22 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करते हुए यह अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई है अतः अपील पेश करने हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुए गुणावगुण पर निर्णित की जावें। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा म्याद प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के आधार पर अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

दौरान सुनवाई अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपील दिनांक 2.2.2017 को दर्ज करते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया तथा दिनांक 27.12.17 को रेस्प0 संख्या 2,3,6 व 15 को तर्क करने आदेश दिया लेकिन रेस्प0 संख्या एक/अपीलान्ट द्वारा सम्मन पेश नहीं किये और पक्षकारान की तामील पूर्ण होने से पूर्व ही आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट इत्यादि को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करना होता है विधि का सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय को सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देना होता है। इस आधार पर दिनांक 15.02.2021 को एकपक्षीय आदेश काबिल निरस्त के है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि बालाराम का देहान्त वर्ष 2010 हो गया और खम्मादेवी का प्रथम अपील के विचाराधीन रहते देहान्त हो गया था। इस प्रकार रेस्प0 संख्या एक द्वारा मृतक व्यक्ति के विरुद्ध अपील में अपीलाधीन आदेश पारित करवा दिया गया था जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है। रेस्प0 संख्या एक की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक से अधिक नामान्तरकरणों यथा 159 से 179 तक



अतिरिक्त सहाय्य आयुक्ता
जयपुर

को एक ही राजस्व अपील के जरिये चुनौती पेश कर दी गई जबकि प्रत्येक नामा0 के विरुद्ध अलग-अलग अपील पेश होनी चाहिये थी और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी इस बात पर गौर किये बिना ही अपील को प्रारम्भिक स्तर पर ग्राह्य कर लिया। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 सं0 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग 31 वर्ष पश्चात अपीलाधीन नामा0 के विरुद्ध प्रथम अपील पेश की जो पूर्ण रूप से म्याद बाहर थी। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अपीलाधीन नामा0 के विरुद्ध पेश प्रथम अपील के संलग्न देरी को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र में कोई उचित कारण नहीं दर्शाये थे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी म्याद प्रार्थना पत्र को निस्तारण किये बिना ही तथा प्रकरण पर गुणावगुण पर गौर किये बिना ही अपील को निस्तारित कर दिया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपने को जुगताराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया और अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दू पर किसी प्रकार का गौर किये व बिना जाँच करवाये ही अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रेस्पो0 संख्या एक की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 179 को निरस्त कर दिया। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्त की द्वितीय अपील को स्वीकार किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश नांक 15.2.2021 को निरस्त करते हुए नामा0 संख्या 179 को यथावत बहाल किया जावें।

प्रत्युत्तर में रेस्पो0 संख्या 1,3,4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 179 जो कि खातेदार जुगताराम के देहान्त उपरान्त कुंभाराम, जेताराम व बालाराम के नाम दिनांक 18.2.1986 को ग्राम पंचायत बागावास के द्वारा स्वीकृत कर दिया जबकि जुगताराम के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं विधिक वारिसान के रूप उनकी पत्नी खम्मादेवी व पुत्री फुलीदेवी भी तत्समय में जीवित थी। स्व0 जुगताराम के कोई पुरुष सन्तान नहीं थी, इस कारण अपीलान्त एवं रेस्पो0 संख्या 3,4 के द्वारा मिलीभगत करते हुए अपीलाधीन नामा0 को अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया। जुगताराम के फौतेदगी नामा0 में अंकित व्यक्ति जुगताराम के भाई के लडके है। जुगताराम के वारिसान के रूप में उनकी पत्नी व पुत्री के जीवित होते हुए भी अन्य व्यक्तियों के नाम नामा0 दर्ज कर स्वीकृत कर दिया जबकि वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 फुली स्व0 जुगताराम के वादग्रस्त खसरान भूमि में 1/5 हक-हिस्से पर काबिज काश्त है परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा नामा0 स्वीकृत करते हुए स्व0 जुगताराम के समस्त विधिक वारिसान की जाँच नहीं की और न ही उत्तराधिकारियों को विधिवत नोटिस जारी



अतिरिक्त सहाय्य आयुक्त
जयपुर

कर उनको अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया था। ऐसे में अपीलाधीन नामा0 निरस्त करने योग्य ही था।

रेस्पो0 संख्या 1,3,4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 179, जो पूर्ण रूप से एकपक्षीय रूप से बिना जॉच किये स्वीकृत किया गया था और जो प्रारम्भ से प्रभाव शुन्य आदेश था, को निरस्त करवाने हेतु किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही में म्याद सम्बन्धी सीमा आडे नहीं आती है, उसे कभी भी सक्षम स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों को म्याद बाधित नहीं माना है। श्री कुंभाराम रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपील को स्वीकार करने में अपनी सहमति भी प्रदान की थी जो आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है। ऐसे में अपीलान्त द्वारा यह कहना कि उनकी अपील म्याद बाहर पेश की गई थी, के कथन को स्वीकार करने योग्य नहीं बनता है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दर्ज होने के उपरान्त सभी रेस्पोडेन्टस को न्यायालय की ओर से विधिवत नोटिस जारी किये गये थे जिनकी पर्याप्त रूप से तामील करवाई गई थी और उनको सूचना होने के बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्ट की अपील को स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को स्व0 जुगताराम के उत्तराधिकारियों की जॉच कर नामा0 करने हेतु रिमाण्ड ही किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है जो बहाल रखे जाने योग्य है। अतः अपीलान्त की अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अपीलाधीन फौतेदगी नामा0 संख्या 179 के कॉलम संख्या 14 में "जुगताराम को फौत हुए करीब 05 वर्ष होने से उनके उत्तराधिकारियों के नाम नाम दर्ज किया गया है।" अंकित किया गया है। उक्त नामा0 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट की ओर से लगभग 31 वर्ष की लम्बी अवधि बाद प्रथम अपील पेश की गई जिसका भी कोई समुचित एवं संतोषनजक कारण म्याद प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट द्वारा अंकित नहीं किया गया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में अपील को स्वीकार करते हुए



अतिरिक्त सन्भाषीय आयुक्त
केन्द्रीय

अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उक्त म्याद अवधि के सम्बन्ध में न तो कोई विवेचन किया गया है और न ही उक्त म्याद प्रार्थना पत्र को निर्णित किया गया है जबकि अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व म्याद को निर्णित किया जाना आवश्यक होता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा 15 में लिमिटेशन एक्ट के संबंध में इस प्रकार पारित किया गया है कि—

The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. In case a party is found to be negligent, or for want or bonofide on his part in the facts and circumstances of the case, or found to have not acted diligently or remained inactive, there cannot be a justified ground to condone the delay. No court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature

इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें प्रथम अपील में रेस्पोंडेन्टस की तामीली सम्बन्धी विधिवत कार्यवाही का अभाव पाया गया है तथा तामीली कार्यवाही के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित कर रेस्पोंडेन्ट की अपील को स्वीकार किया गया है उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। नामा० कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग्स है जिसके जरिये कोई व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रेस्पोंडेन्ट को चाहिये था कि मृतक खातेदार जुगताराम के हक-हिस्से वाली वादग्रस्त भूमि में अपना हक-हिस्सा प्राप्त करने हेतु नियमित वाद के जरिये अनुतोष करने की कार्यवाही करती। उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्त की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2021 को निरस्त किया जाकर

प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्त एवं रेस्पोंडेंट्स को अपना-अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 05 जनवरी, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर